

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 527]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 18 नवम्बर 2014—कार्तिक 27, शक 1936

कार्यालय, कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर, मध्यप्रदेश

जबलपुर, दिनांक 17 नवम्बर 2014

प. क्र. स्था.निर्वा.-70-2014.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 10(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विषय पर पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अधिष्ठित करते हुए, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट नगर निगम के संबंध में उक्त सारणी के तत्स्थानी कॉलम (3) में यथानिर्दिष्ट वार्डों की संख्या अवधारित की जाती है :—

अनुक्रमांक (1)	नगर निगम का नाम (2)	वार्डों की संख्या (3)
1	नगरपालिक निगम, छिन्दवाड़ा	48

प. क्र. स्था.निर्वा.-70-2014.—In exercise of the power conferred under section 10(1) of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and delegation of powers in this regard, the No. of Ward shown in column (3), is here by determined in reference to the Municipal Corporation shown in column (2) in the following Table :—

S.No. (1)	Name of Municipal Corporation (2)	No. of Wards (3)
1	Municipal Corporation, Chhindwara	48

शिवनारायण रूपला, कमिश्नर.